सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-934/UP/13/2023-APCR Date :03/01/2024

To,

1. **Shri Shobhan Chaudhuri**
General Manager
Northern Railway
Baroda House, KG Marg
New Delhi-110001 (Delhi)
E.mail: gm@nr.railnet.gov.in

2. **Shri Ajay Kumar Mishra**
Commissioner of Police,
Ghaziabad,
CZ 58, Hapur Road
Old Block C, Sector 18, Kavi Nagar,
Ghaziabad-201002 (Uttar Pradesh)
E-mail: cp-pol.gz@up.gov.in

Sub: Representation of Shri Vijay Pal Singh Meena Regarding the accused abusing a Scheduled Tribe person, using caste related words and threatening to kill him.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the Meeting held on 15.12.2023 under the Chairmanship of Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action. It is requested that compliance report may be submitted to this Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: as above

Yours faithfully,

NIC

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
E.mail: hr.rammeena@ncst.nic.in

Copy to:-

Shri Vijay Pal Singh Meena,
S/o Shri Kunwar Pal Singh Meena,
House No. 7, Street No. 1, Sector 9,
Shankar Puri, New Vijay Nagar,
Ghaziabad, Uttar Pradesh

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(NCST/ATY-934/UP/13/2023-APCR)

उत्तर रेलवे(दिल्ली मंडल), विद्युत लोको शेड गाज़ियाबाद में सेवारत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ लोको शेड के ही कर्मचारीगण द्वारा गाली गलौच करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में - श्री विजय पाल सिंह मीना, पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह मीना, मकान नंबर-7, गली नंबर-1, सेक्टर-9, शंकर पुरी, न्यू विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के मामले में आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2023 को आयोग में हुई मीटिंग का कार्यवृत ।

****

मीटिंग की तिथि	:	15.12.2023, 10:30 बजे
मीटिंग में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट

****

मामले में श्री विजय पाल सिंह से आयोग में दिनांक 31/01/2023 को प्राप्त हुई शिकायत में उन्होंने आयोग को बताया कि वह उत्तर रेलवे(दिल्ली मंडल) में विद्युत लोको शैड गाज़ियाबाद का कर्मचारी हैं और उसके साथ उसके ही विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा दिनांक 14/01/2023 को उनके निवास स्थान(गाज़ियाबाद) पर कार्य समय में उनके और उनके परिवार के साथ गाली-गलोज करते हुए मारपीट की गयी | उक्त घटना पर विजय नगर थाने में एफ आई आर दर्ज की जा चुकी हैं पर पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नही की गयी | उसने यह भी बताया हैं की पूर्व में आरोपियों द्वारा ही उनका स्थान्तारण गाज़ियाबाद से नयी दिल्ली तुगलकाबाद करवाया गया |

2. प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिनों की अवधि में रिपोर्ट मंगाने के लिए श्री अजय कुमार मिश्रा, पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश तथा श्री आशुतोष गंगल, महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, दिल्ली को नोटिस दिनांक -16/02/2023 भेजा गया | महाप्रबंधक कार्यालय, उत्तर रेलवे,बड़ोदा हाउस नयी दिल्ली से रिपोर्ट दिनांक 09/03/2023 आयोग को प्राप्त हुई | दूसरी ओर पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद, से कोई जवाब नही प्राप्त हुआ |

3. उत्तर रेलवे की रिपोर्ट उचित प्रतीत नहीं होने और पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद से आयोग को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 15.12.2023 को पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश तथा महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली के साथ आयोग में सुनवाई/मीटिंग तय की गयी |

4. प्रकरण में मीटिंग में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी(उत्तर रेलवे), अपर मंडल रेल प्रबंधक(दिल्ली डिवीजन), वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता(गाजियाबाद), उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/ संपर्क अधिकारी/एससी/एसटी(उत्तर रेलवे) आयोग के समक्ष उपस्थित हुए | शिकायतकर्ता श्री विजय पाल सिंह मीना भी उपस्थित हुए | पुलिस आयुक्त गाज़ियाबाद स्वय उपस्थित नही हुए उन्होंने उनकी तरफ से सहायक पुलिस आयुक्त(लेखा विभाग) गाज़ियाबाद को रिपोर्ट के साथ आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए भेजा | किन्तु आयोग द्वारा उनको मीटिंग में स्वीकार नही किया गया |

5. प्रकरण में विस्तृत सुनवाई हुई | सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि दिनांक 14.01.2023 को लोको शेड गाज़ियाबाद के कर्मचारी श्रीमति सपना शर्मा और अन्य साथीगण ने उनके निवास स्थान पर उनके और उनके परिवार के साथ गाली – गालोज करते हुए मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया | उसके पश्चात उसको जान से मारने की धमकी दी | इस घटना की शिकायत उनके द्वारा पुलिस थाना विजयनगर में की गई किन्तु पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नही की गयी जब शिकायतकर्ता इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस आयुक्त गाज़ियाबाद को मिले उसके बाद उक्त थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी | इस घटना को दबाने के लिए श्रीमति सपना शर्मा द्वारा दिनांक 16.01.2023 को शिकायतकर्ता के खिलाफ एक झूठा मुकदमा नन्दग्राम गाज़ियबाद थाने में दर्ज करा दिया गया | शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई में आगे बताया गया की शिकायतकर्ता का तबादला विद्युत लोको शैड गाज़ियाबाद से नयी दिल्ली भी आरोपियों के द्वारा ही कराया गया हैं | शिकायतकर्ता ने आयोग को यह भी बताया की श्रीमती सपना शर्मा के व्यवहार के बारे में उनके द्वारा रेलवे के सम्बंधित अधिकारी(वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता) लोको शैड गाज़ियाबाद को बता रखा था किन्तु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नही की गयी |

अनन्त नायक

अनंत नायक / ANANTA NAYAK

राष्ट्रीय ... आयोग

NATIONAL COMM... SCHEDULED TRIBES

भारत ... India

नई दिल्ली / New Delhi

शिकायतकर्ता ने आयोग को अनुरोध किया हैं की उनका तबादला वापस गाज़ियाबाद में करवाया जाये और श्रीमती सपना शर्मा का तबादला कही और किया जाए तभी उनका परिवार सुरक्षित रहेगा |

6. मामले में रेलवे के सम्बंधित अधिकारियो ने आयोग को अवगत कराया की शिकायतकर्ता के साथ दिनांक 14.01.2023 को हुई घटना पर जाँच हेतु विभागीय समिति का गठन किया गया जिसमे समिति ने पाया की शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप पुर्णतः सही नही पाए गये क्योकि आरोपी कर्मचारी या तो उस दिन अवकाश/अर्ध अवकाश पर थे या फिर जो ड्यूटी पर थे वह चाय काल के दौरन विद्युत लोको शैड परिसर में नही थे उन्होंने यह भी बताया की श्रीमती सपना शर्मा ने दिनांक 13.01.2023 को विजयपाल सिंह मीना के खिलाफ उनके घर जा कर धमकाने और बच्चो से मारपीट की शिकायत दर्ज करवा रखी थी | दोनों की शिकायतों पर जाँच स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही हैं |

7. मामले में पुलिस आयुक्त गाज़ियाबाद द्वारा रिपोर्ट दिनांक 14.12.2023 आयोग को भेजी गयी जिसमे में बताया कि शिकायतकर्ता श्री विजयपाल सिंह मीना तथा उनकी पत्नी की ओर से दिनांक 14.01.2023 को उनके साथ हुई घटना पर थाना विजयनगर गाज़ियाबाद में मुकदमा(मु0अ0स0 387/2023 एवम् मु0अ0स0 0044/2023) दर्ज हैं जिस पर जाँच उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जा चूका हैं दूसरी ओर यह भी अवगत कराया कि श्रीमति सपना शर्मा द्वारा श्री विजयपाल सिंह मीना के विरुद्ध दो अभियोग- एक थाना विजयनगर(मु0अ0स0 107/2022) तथा दूसरा थाना नन्दग्राम(मु0अ0स0 36/2023) में पंजीकृत कराये हुए हैं दोनों में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चूका हैं | इन मुकदमो(मु0अ0स0 107/2022 व मु0अ0स0 36/2023) के आधार पर ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट के आदेश दिनांक 23.08.2023 अनुसार विजयपाल सिंह मीना को 6 माह के लिए जनपद गाज़ियाबाद की सीमा से बहिष्कासन किया गया |

8. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग ने पाया हैं की शिकायतकर्ता श्री विजयपाल सिंह मीना और श्रीमती सपना शर्मा के आपसी विवाद के बारे में रेलवे प्रशासन(विद्युत लोको शैड गाज़ियाबाद) को जानकारी थी किन्तु फिर भी सम्बंधित आधिकारियो द्वारा कोई कार्रवाई नही की गयी | यदि सम्बंधित आधिकारियो द्वारा समय पर मामले में उचित कार्रवाई की गयी होती तो इस तरह की घटना होने की स्थिति उत्पन्न नही होती और शिकायतकर्ता को किसी प्रकार कि हानि नही होती | यह भी स्पष्ट हुआ की उत्तरप्रदेश पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को जिला सीमा से बहिष्कासन करने की कार्रवाई एक पक्षीय प्रतीत हुई | अतः आयोग द्वारा मामले में निम्न अनुशंसाएँ की जाती हैं :-

1. शिकायतकर्ता तथा उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाये |
2. शिकायतकर्ता का स्थानांतरण नयी दिल्ली तुगलकाबाद से पुनः विद्युत लोको शैड गाज़ियाबाद में किया जाये |
3. पुलिस द्वारा जो शिकायतकर्ता का जिला सीमा बहिष्कासन किया गया उस पर पुनः विचार किया जाये |
4. आरोपी श्रीमती सपना शर्मा का स्थानांतरण विद्युत लोको शैड गाज़ियाबाद से कही ओर किया जाये |
5. अन्य आरोपियों के खिलाफ विभागीय एव पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाये |

उपरोक्त अनुसार मामले मे आवश्यक कार्रवाई की जाये तथा की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों की अवधि में भिजवाई जाये |

अनन्त नायक
(अनंत नायक)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

...AYAK
... आयोग
NATIONAL CO... SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-934/UP/13/2023-APCR

List of participants

<u>National Commission for Scheduled Tribes</u>

1. Shri Ananta Nayak
   Hon'ble Member

2. Shri R.K. Dubey
   Deputy Director

3. Shri H.R. Meena
   Research Officer

4. Smt. Amrita Solanki
   Sr. Investigator

5. Shri Rahul
   Investigator

Officers from O/o Northern Railway and
O/o the Commissioner of Police, Ghaziabad.

1. Shri Anand Madhukar
   CPO/IR, Northern Railway

2. Shri Abhimanyu Seth
   ADRM/OP/DS Delhi

3. Shri Manish Pratap Singh
   Sr. DEE/Ghaziabad

4. Shri Awdesh Kumar
   DYCPO/HR/NR & Liaison Officer (SC/ST).

Petitioner

Shri Vijaypal Singh Meena.